

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 66 / 2025-26

अनुसूची -14 फॉर्म सं०- 563

आदेश की क०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
03/11/25	आवेदक एतवा चीक बड़ाईक, पिता स्व० जेटू चीक बड़ाईक, जाति चीक बड़ाईक, ग्राम बम्बियारी, थाना - बसिया, जिला - गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1"> <thead> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th> <th>थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> <th>जमीन किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बम्बियारी</td> <td>49</td> <td>85</td> <td>972</td> <td>1.42 एकड़ में से 0.10 एकड़ भूमि</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> कुल 0.10 (दस डिसमील) चौहद्दी :- उत्तर में - अंश प्लॉट हिस्सेदार समरन चीक बड़ाईक, दक्षिण में - परती पत्थर, पुरब में - अंश प्लॉट हिस्सेदारी सुरेश चीक बड़ाईक, पश्चिम में - पक्की सड़क से 13 फीट छोड़कर विक्रेता के द्वारा क्रेता हेतु। जमीन विक्रेता का विवरणी (1) एतवा चीक बड़ाईक, पिता स्व० जेटू चीक बड़ाईक, जाति चीक बड़ाईक, ग्राम बम्बियारी, थाना - बसिया, जिला - गुमला जमीन क्रेता का विवरणी (1) याकुब तिकी, पिता स्व० जोसेफ तिकी, ग्राम तेतरा पो० कोनबीर नवाटोली, थाना - बसिया, जिला-गुमला। आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता (1) याकुब तिकी, पिता स्व० जोसेफ तिकी, ग्राम तेतरा पो० कोनबीर नवाटोली, थाना - बसिया, जिला- गुमला से राशि 2,00,000 (दो लाख) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	बम्बियारी	49	85	972	1.42 एकड़ में से 0.10 एकड़ भूमि		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
बम्बियारी	49	85	972	1.42 एकड़ में से 0.10 एकड़ भूमि										



अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 622/रा0 दिनांक 24/10/2025 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उराँव एवं चीक बड़ाईक के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक एतवा चीक बड़ाईक, पिता स्व0 जेटू चीक बड़ाईक, जाति चीक बड़ाईक, ग्राम बम्बियारी, थाना - बसिया जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 2,00,000 (दो लाख) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

03.11.25
भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)



03.11.25
भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)